भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1182

दिनांक 08.12.2021/ 17 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

शहीदों से संबंधित मानक

1182# श्री सतीश चंद्र दुबेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शहीदों के दर्जे को लेकर कोई योजना है;

(ख) सशस्त्र बलों में शहीदों से संबंधित मानक क्या-क्या हैं; और

(ग) सशस्त्र बलों और अर्ध सैनिक बलों में शहीद हुए सैनिकों के आश्रित परिवार जनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में क्या अंतर है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): ऐसी कोई आधिकारिक नामपद्धति (नोमेनक्लेचर) नहीं है। तथापि, गृह मंत्रालय ने कार्रवाई में अपनी जान गंवाने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को ''ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र'' जारी करने के अनुदेश दिए हैं।

(ग): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और सैन्य बलों की एक दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु, सेवा संबंधी नियमों आदि में अंतर है। कार्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों (एनओके) के लिए लागू लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

i. 25 लाख रुपए से 45 लाख रुपए तक एकमुश्त केन्द्रीय अनुग्रह मुआवजा।
ii. केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अंतर्गत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन।
iii. सेवा संबंधी अन्य सभी लाभ, यथा मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), छ़ट्टी नकदीकरण, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), आदि।
iv. संबंधित बल की जोखिम/कल्याण/हितकारी निधि से, निधि के मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि और अन्य वित्तीय सहायता।

v. ऐसे कार्मिकों के नामों को 'भारत के वीर' नामक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके 15 लाख रुपए तक का सार्वजनिक अंशदान। मारे गए विवाहित कार्मिक के माता-पिता को 'भारत के वीर' कॉर्पस से 10 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता।

vi. सीएपीएफ वेतन पैकेज स्कीम के अंतर्गत बीमा कवरेज।

vii. निकटतम संबंधियों को कुछ लाभों यथा हवाई और रेल यात्रा भाड़े में छूट तथा रिटेल पेट्रोल पंपों के आबंटन आदि के लिए पात्र बनाने हेतु 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र' जारी करना।

viii. एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उनके बच्चों के लिए कोटा।

ix. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत बालिकाओं के लिए 3000/- रुपए प्रति माह की दर से और बालकों के लिए 2500/- रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति।

x. कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने नियमों के अनुसार मुआवजे/सहायता का भुगतान।

*****